फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/11/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरा/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रखने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक...19/12/25 ...... को पेश हो।
	19/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या ② पूर्व में उपस्थित थे आज उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी हेतु दिनांक 06/1/25 को पेश हो। दिनांक 06/01/25 का सार्वजनिक अवकाश होने से
	7/1/25	पत्रावली पेश हुइ। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/1/25 को पेश हो.
	23/1/25	पत्रावली पेश हुइ। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/2/25 को पेश हो
	18/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कान्फ्रेंस, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 6/3/25 को पेश हो।
	6/3/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप०। वकील अप्रार्थीगण ① से ③ अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण ① लगा ③ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 11/3/25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्ष्य हेतु वादी गोपाल स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षा करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि की जमाबन्दी को प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया। वादी की ओर से और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 18/3/25 को पेश हो।	गोपाल
	18/3/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्तिम बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर ... ग्रामीण	

डिक्री मुकदमा इस्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 78/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/219

गोपाल पुत्र गल्लू, जाति कोली, निवासी ग्वालिनी, तहसील तूंगा, जिला जयपुर, राजस्थान।

--वादी

-: बनाम :-

1. जगदीश पुत्र स्व0 नारायण
2. बनवारी पुत्र स्व0 नारायण
3. रामचरण पुत्र स्व0 नारायण
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम ग्वालिनी, तहसील तूंगा, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः- 1- श्री सुरेश शर्मा अभिभाषक वादी
2- प्रतिवादीगण बावजद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूवरू दावा व हाजिरी -------- मिनजानिब मुद्धई रूवरू ---------------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्वालिनी, पटवार हल्का माधोगढ, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर की सीमा में खाता संख्या नया 84 पुराना 76 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 0.1200 हैक्टेयर अथवा उसके किसी भी भू-भाग को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी बताते हुए, अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 773 ग्राम ग्वालिनी में बताते हुए उस पर जबरन् कब्जा नहीं करे, रोड नही बनाये, उसमें जबरन पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करे, उस पर तारबन्दी नहीं करे, ना ही वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, उक्त समस्त कार्य ना तो स्वंय करे और ना अन्य किसी से करावे तथा ऐसा कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं करे जो कि वादी के हक व अधिकारो के विपरीत

18/3/25
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण

हो, इसलिये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 774 वाके ग्राम ग्वालिनी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

यदि पक्षकारान् के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद है तो संबंधित पक्षकार सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगे तथा सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही पर हस्तगत निर्णय व डिक्री का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

निज------ मुबलिग--------- बाबत् -------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ----------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 18.3.25 को जारी की गई।

मुहर ओहदा

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
दसी जिला – जयपुर ग्रामीण

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

18/3/25
दस्तखत
सहायक कलेक्टर
मुहर
दसी जिला – जयपुर ग्रामीण